UPCD010008452026

न्यायालय सत्र न्यायाधीश, चन्दौली
उपस्थितः दिवाकर प्रसाद चतुर्वेदी (एच.जे.एस.)

J.O.Code.U.P.5730

जमानत प्रार्थनापत्र संख्या– 404 / 2026

आशीष कुमार पुत्र राजकुमार निवासी महरखां थाना अलीनगर जिला चन्दौली

– – – अभियुक्त

प्रति

उत्तर प्रदेश राज्य – – – विपक्षी

अपराध संख्या – 86 / 2026
धारा–87 व 137 (2) भारतीय न्याय संहिता
थाना– अलीनगर जिला–चन्दौली।

18–03–2026

अभियुक्त आशीष कुमार उपरोक्त की ओर से थाना अलीनगर जिला चन्दौली के मुकदमा अपराध संख्या 86 / 2026 धारा 87 व 137 (2) भारतीय न्याय संहिता के तहत यह प्रथम नियमित जमानत प्रार्थनापत्र प्रस्तुत किया गया है। अभियुक्त आशीष कुमार उपरोक्त की ओर से प्रस्तुत जमानत प्रार्थनापत्र उपरोक्त व पैरवीकार रामनारायण पुत्र पांचू के शपथपत्र से यह स्पष्ट है कि यह अभियुक्त उपरोक्त का प्रथम जमानत प्रार्थनापत्र है। इसके अलावा कोई जमानत प्रार्थनापत्र किसी न्यायालय में विचाराधीन नहीं है। पत्रावली से यह भी स्पष्ट है कि अभियुक्त उपरोक्त का प्रश्नगत प्रकरण में जमानत प्रार्थनापत्र दिनांक 26–02–2026 को सिविल जज (जू0डि0) एफ.टी.सी. प्रथम / न्यायिक मजिस्ट्रेट चन्दौली के न्यायालय से खारिज हो चुका है और इस प्रकार अभियुक्त उपरोक्त प्रश्नगत प्रकरण में न्यायिक अभिरक्षा में जेल में है।

अभियोजन पक्ष का कथन संक्षेप में इस प्रकार है कि वादिनी संगीता पत्नी संजीव ग्राम महरखा पोस्ट महरखा थाना अलीनगर जनपद चन्दौली की स्थाई निवासिनी है। दिनांक 08–02–2026 को लगभग 10.30 बजे रात में उसकी लड़की पीड़िता उम्र लगभग साढ़े चौदह वर्ष, शौच के लिये घर से निकली। जब उसकी लड़की काफी देर तक घर वापस नहीं आयी तो वह व उसके परिवार वाले मिलकर लड़की को आस–पास खोजने लगे लेकिन उसके विषय में कहीं पता नहीं चला। उसे आशंका है कि विपक्षी आशीष कुमार पुत्र राजकुमार निवासी ग्राम उपरोक्त मोबाइल नम्बर 9580419187 उसकी नाबालिग लड़की को अपने झांसे में लेकर शादी का झांसा देकर बहला–फुसलाकर कहीं भगा ले गया है। उसे डर लग रहा है कि विपक्षी आशीष कुमार उसकी लड़की के साथ कोई अनहोनी घटना कारित न कर दे। समय 8.38 बजे सुबह में उसकी लड़की ने उक्त मोबाइल नम्बर से उसके मोबाइल नम्बर पर काल करके विपक्षी के बताये अनुसार बात करके फोन काट दी।

अभियुक्त आशीष कुमार उपरोक्त का अपने उक्त प्रथम नियमित जमानत प्रार्थनापत्र में यह कहना है कि उसे झूँठा व रंजिशन अभियुक्त बनाया गया है। उसने कोई अपराध कारित नहीं किया है। वादिनी की पुत्री को शौच के लिये

Digitally signed by DIWAKAR PRASAD CHATURVEDI
Date: 2026.03.19 16:01:28 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court

10.30 बजे रात्रि में अकेला भेजना संभव नहीं है जबकि वादी के घर में खुद शौचालय है। वादी की पुत्री को अभियुक्त के साथ जाते हुए किसी द्वारा देखा जाना नहीं कहा गया है। प्रथम सूचना रिपोर्ट काफी विलम्ब से दर्ज कराई गई है। वह बी.ए. का छात्र है तथा उसका कोई आपराधिक इतिहास नहीं है। उसके पलायन की संभावना नहीं है तथा वह दिनांक 11–02–2026 से जिला कारागार में निरूद्ध है। अतः उसे जमानत पर रिहा किया जाय।

अभियुक्त आशीष कुमार के उक्त प्रथम नियमित जमानत प्रार्थनापत्र का विरोध करते हुए जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) द्वारा यह बताया गया कि अभियुक्त वादिनी की नाबालिग पुत्री को शादी का झांसा देकर बहला–फुसलाकर भगा ले गया। अपराध अत्यन्त ही गम्भीर प्रकृति का है, अतः अभियुक्त उपरोक्त का जमानत प्रार्थनापत्र खारिज किया जाय।

मैने अभियुक्त उपरोक्त के उक्त प्रथम नियमित जमानत प्रार्थनापत्र पर उसके विद्वान अधिवक्ता, वादिनी के विद्वान अधिवक्ता व विद्वान जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) की बहस सुना व पत्रावली तथा थाने से प्राप्त आख्या दिनांकित11–03–2026 व केस डायरी का विस्तारपूर्वक अवलोकन किया।

पीड़िता ने अपने धारा 180 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के तहत विवेचक को यह बयान दिया है कि उसकी उम्र साढ़े चौदह वर्ष है। वह दिनांक 08–02–2026 को रात में 12.00 बजे अपने घर से निकलकर रोड पर गयी जहॉ पर उसने आशीष कुमार पुत्र राजकुमार को फोन करके बुलाया था जो उसके गांव का है। वह तथा आशीष दोनो बाइक पर बैठकर बनारस गये। बनारस से बस पकड़कर जौनपुर गये फिर जौनपुर रेलवे स्टेशन से ट्रेन पकड़कर लखनऊ गये। लखनऊ रेलवे स्टेशन पर पहुंचकर उसने आशीष के फोन से मम्मी के पास काल किया। मम्मी से बोला कि वह नहीं आयेगी फिर मम्मी ने बोला कि दोनो लोग जल्दी वापस आओ नहीं तो बहुत बुरे फंस जाओगे नहीं आओगे तो वह केस कर देगी। उसके बाद वे दोनों लखनऊ से ट्रेन पकड़कर बनारस रेलवे स्टेशन आ गये। इसी प्रकार पीड़िता ने अपने धारा 183 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के तहत यह बयान दिया है कि उसकी उम्र 16 वर्ष है । वह कक्षा–8 तक पढ़ी है वह पिछले डेढ़ साल से अपने गांव के आशीष से प्यार करती है। उसने दिनांक 08–02–2026 को आशीष को रात में फोन करके बुलाया और उसके साथ बाइक से बनारस तथा फिर बस पकड़कर जौनपुर और जौनपुर से ट्रेन पकड़कर दिनांक 09–02–2026 को लखनऊ पहुंची वहॉ जाकर अपनी मम्मी को फोन किया तब मम्मी ने बोला कि घर आ जाओ नहीं तो मुकदमा कर देगी तब वे दोनो बस पकड़कर बनारस आये और बनारस से घर जाते समय रिंग रोड पर पुलिस पकड़कर थाने ले गयी उन दोनों के बीच कोई शारीरिक सम्बन्ध नहीं बना है। इस प्रकार पीड़िता के उक्त धारा 180 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता व उसके धारा 183 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के तहत दिए गए उक्त बयानों से यह स्पष्ट है कि वह अपनी मर्जी से अभियुक्त आशीष कुमार को फोन करके बुलाकर उसके साथ गई थी और पीड़िता अभियुक्त आशीष कुमार से प्यार भी करती है। पीड़िता ने अपने धारा 183 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के तहत दिए गए बयान में अपनी उम्र 16 वर्ष बताया है और इस प्रकार पीड़िता अपना हित तथा अनहित समझने में पूर्णतया सक्षम है। अभियुक्त आशीष कुमार दिनांक 11–02–2026 से प्रश्नगत प्रकरण में जेल में भी है।

अभियोजनपक्ष द्वारा अभियुक्त आशीष कुमार उपरोक्त का कोई आपराधिक इतिहास अथवा उसकी दोषसिद्धि का कोई इतिहास न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत नहीं किया गया है। केस डायरी के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि प्राथमिक विद्यालय महरखा के अभिलेखानुसार पीड़िता की जन्मतिथि 04–09–2010 है जिसके अनुसार प्रश्नगत घटना के समय उसकी उम्र साढ़े पन्द्रह वर्ष के ऊपर जाहिर होती है। अतः मामले के तथ्य एवं परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए अभियुक्त आशीष कुमार उपरोक्त के जमानत के पर्याप्त आधार है। अतः अभियुक्त आशीष कुमार उपरोक्त की ओर से प्रस्तुत यह प्रथम नियमित जमानत प्रार्थनापत्र स्वीकार किए जाने योग्य है।

<u>आदेश</u>

अभियुक्त आशीष कुमार उपरोक्त की ओर से थाना अलीनगर जिला चन्दौली के मुकदमा अपराध संख्या 86/2026 धारा 87 व 137 (2) भारतीय न्याय संहिता के तहत प्रस्तुत यह प्रथम नियमित जमानत प्रार्थनापत्र स्वीकार किया जाता है तथा अभियुक्त आशीष कुमार उपरोक्त को थाना अलीनगर जिला चन्दौली के मुकदमा अपराध संख्या 86/2026 धारा 87 व 137 (2) भारतीय न्याय संहिता के तहत मु0 पचास हजार रूपये का व्यक्तिगत बन्धपत्र व समान धनराशि की दो प्रतिभू सम्बन्धित न्यायालय की सन्तुष्टि का दाखिल करने पर जमानत पर रिहा किया जाय।

दिनांकः–18–03–2026.

(दिवाकर प्रसाद चतुर्वेदी)
सत्र न्यायाधीश,
चन्दौली।

स्टेनो–संजीत सिंह.